



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2017/माघ 25, 1938

No. 402]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2017/MAGHA 25, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2017

(आयकर)

का. आ. 441 (अ).—चूंकि, आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य तथा इज़राइल राज्य के बीच अभिसमय तथा प्रोटोकॉल के संशोधनकारी प्रोटोकॉल (जिसे इसके बाद उक्त प्रोटोकॉल कहा गया है) पर जेरूसलेम, इज़राइल में 14 अक्तूबर, 2015 को हस्ताक्षर किए गए थे;

और चूंकि, उक्त प्रोटोकॉल 19 दिसंबर, 2016 को प्रवृत्त हो चुका है, जो कि उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 6 के अनुसार, उक्त प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने सम्बंधी अंतिम अधिसूचना की तारीख है;

और चूंकि, उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 6 के खंड(क) में प्रावधान है कि इस प्रोटोकॉल के उपबंध भारत में आय पर तथा पूंजी पर करों के सम्बंध में उस तारीख के बाद आने वाले अप्रैल के पहले दिन अथवा इसके बाद प्रारम्भ होने वाले राजकोषीय वर्ष के लिए जिसमें उक्त प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है, लागू होंगे;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ अनुबंध के रूप में संलग्न,

आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य तथा इज़राइल राज्य के बीच उक्त प्रोटोकॉल के सभी उपबंध, भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं.10/2017 फा. सं. 500/14/2004-एफटीडी-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

**अनुबंध**

आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार

तथा

वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

तथा

इज़राइल राज्य की सरकार

के बीच 29 जनवरी, 1996 को हस्ताक्षरित अभिसमय और प्रोटोकॉल

का संशोधनकारी प्रोटोकॉल

**भारत गणराज्य की सरकार तथा इज़राइल राज्य की सरकार;**

आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा इज़राइल राज्य की सरकार के बीच 29 जनवरी, 1996 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित अभिसमय तथा प्रोटोकॉल (इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल में इसके पश्चात् इसे “अभिसमय” तथा “प्रोटोकॉल” कहा जायेगा) में संशोधन करने के लिए,

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

### **अनुच्छेद 1**

इस अभिसमय को अनुच्छेद 14 के पैराग्राफ 4 (पूँजीगत लाभ) को हटा कर तथा निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करके संशोधित किया जाता है:

“4. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा निम्नलिखित के अंतरण से प्राप्त अभिलाभ:

- क) दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने मूल्य के 50 प्रतिशत से ज्यादा प्राप्त करने वाले शेयर (अंतरण के समय या पिछले 12 महीनों के दौरान किसी भी समय); या
  - ख) दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने मूल्य के 50 प्रतिशत से ज्यादा प्राप्त की गयी भागीदारी, ट्रस्ट या अन्य सत्ता में ब्याज (अंतरण के समय या पिछले 12 महीनों के दौरान किसी भी समय);
- पर दूसरे राज्य में कर लग सकता है।”

### **अनुच्छेद 2**

इस अभिसमय के अनुच्छेद 24 के पैरा 3 तथा 4 (दोहरे कराधान के निरसन) का लोप किया जाता है।

### अनुच्छेद 3

अभिसमय को अनुच्छेद 27 को हटाते हुए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करके संशोधित किया जाता है:

#### “अनुच्छेद 27

#### सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचनाओं (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे, जो इस अभिसमय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए या संविदाकारी राज्यों की ओर से अधिरोपित इस अधिसमय में शामिल करों से संबंधित घरेलू कानूनों के अभिशासन या प्रवर्तन के लिए, जहां तक इसके अधीन कराधान इस अधिसमय के प्रतिकूल नहीं है, स्पष्टतः संगत हों। सूचनाओं का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय समेत) को प्रकट की जाएगी, जो हर प्रकार और विवरण के करों के संबंध में करों के निर्धारण, वसूली, प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हों। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों तथा ऐसे प्रयोग के लिए प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता राज्य के प्राधिकरणों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचनाओं (प्रलेखों सहित) की आपूर्ति करना, जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक रहस्य अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने का अनुरोध किया जाता है, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, भले ही दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।”

### अनुच्छेद 4

इस अभिसमय को निम्नलिखित को शामिल करके संशोधित किया गया है:

#### “अनुच्छेद 27क लाभों का परिसीमन

1. इस अभिसमय के लाभ संविदाकारी राज्य के निवासी को या ऐसे निवासी द्वारा किए गए किसी अंतरण के संदर्भ में उपलब्ध नहीं होंगे, यदि ऐसे किसी निवास का सृजन अथवा मौजूदगी अथवा निवासी द्वारा किए गए किसी अंतरण का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से कोई प्रयोजन, इस अभिसमय के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना था जो अन्यथा उपलब्ध नहीं होता।
2. यह अभिसमय किसी संविदाकारी राज्य को कर अपवंचन अथवा कर परिहार की रोकथाम सम्बंधी इसके घरेलू कानूनों को लागू करने से नहीं रोकेगा।
3. इस अभिसमय के अंतर्गत कोई लाभ उस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया जायेगा, जो आय की मद का लाभप्रद स्वामी नहीं है।”

### अनुच्छेद 5

प्रोटोकॉल के पैराग्राफ 2 और 3 का लोप किया जाता है।

### अनुच्छेद 6 प्रवृत्त होना

संविदाकारी राज्य इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे। यह संशोधनकारी प्रोटोकॉल, जो करार का अभिन्न अंग होगा, अंतिम अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होगा, तथा तदंतर इसका निम्नलिखित प्रभाव होगा:

- (क) भारत के मामले में, उस वित्तीय वर्ष की आय पर करों या पूंजी पर करों के संबंध में, जो इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख के बाद अप्रैल के प्रथम दिन या उसके बाद शुरू होता हो;
- (ख) इज़राइल के मामले में, उस कराधेय अवधि की आय पर करों या पूंजी पर करों के संबंध में, जो इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख के बाद जनवरी के प्रथम दिन या उसके बाद शुरू होता हो;
- (ग) इस अभिसमय के अनुच्छेद 27 (सूचनाओं का आदान-प्रदान) के प्रयोजनार्थ, इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख से।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

जेरूसलेम, इज़राइल में आज 14 अक्तूबर, 2015 तारीख को हिन्दी, हिब्रू और अंग्रेजी में दो प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक, संदेह की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की  
सरकार के लिए

इज़राइल राज्य की  
सरकार के लिए

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th February, 2017

**(INCOME TAX)**

**S.O. 441(E).**—Whereas, a Protocol amending the Convention and the Protocol between the Republic of India and the State of Israel for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital was signed at Jerusalem, Israel on the 14<sup>th</sup> day of October, 2015 (hereinafter referred to as the said Protocol);

And whereas, the said Protocol has entered into force on the 19<sup>th</sup> day of December, 2016, being the date of the last notification of the completion of the procedures as required by the respective laws for entry into force of the said Protocol, in accordance with Article 6 of the said Protocol;

And whereas, clause (a) of Article 6 of the said Protocol provides that the provisions of the Protocol shall have effect in India in respect of taxes on income, and taxes on capital, for fiscal year beginning on or after the first day of April next following the date on which the said Protocol enters into force;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said Protocol between the Republic of India and the State of Israel for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes of income and on capital, as set out in the Annexure hereto, shall be given effect to in the Union of India.

[Notification No.10/2017 F. No. 500/14/2004-FTD-II]  
RAJAT BANSAL, Jt. Secy.

**ANNEXURE**

**PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION  
AND  
THE PROTOCOL  
BETWEEN  
THE REPUBLIC OF INDIA  
AND  
THE STATE OF ISRAEL  
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION  
AND  
FOR THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO  
TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL  
SIGNED ON  
29<sup>TH</sup> JANUARY, 1996**

The Government of the Republic of India and the Government of the State of Israel,

Desiring to amend the Convention and the Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the State of Israel for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital signed at New Delhi on the 29<sup>th</sup> day of January 1996 (in this Amending Protocol referred to as “the Convention” and “the Protocol”),

Have agreed as follows:

**Article 1**

The Convention is amended by omitting Paragraph 4 of Article 14(Capital Gains) and substituting:

- “4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of:
- a) shares, deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other State (at the time of the alienation or at any time during the twelve preceding months); or
  - b) an interest in a partnership, trust or other entity, deriving more than 50 per cent of its value directly or indirectly from immovable property situated in that other State (at the time of the alienation or at any time during the twelve preceding months);
- may be taxed in that other State.”

#### *Article 2*

Paragraphs 3 and 4 of Article 24 (Elimination of Double Taxation) of the Convention are omitted.

#### *Article 3*

The Convention is amended by omitting Article 27 and substituting it with the following:

#### “Article 27

#### EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention, or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes covered by this Convention imposed on behalf of the Contracting States, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes of every kind and description, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorizes such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information (including documents) which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

**Article 4**

The Convention is amended by inserting:

“Article 27A  
LIMITATION OF BENEFITS

1. Benefits of this Convention shall not be available to a resident of a Contracting State, or with respect to any transaction undertaken by such resident, if the main purpose or one of the main purposes of the creation or existence of such resident or of the transaction undertaken by it, was to obtain benefits under this Convention that would not otherwise be available.
2. The Convention shall not prevent a Contracting State from applying its domestic law on prevention of tax evasion or tax avoidance.
3. Any benefit under this Convention shall not be granted to a person who is not the beneficial owner of the item of income.”

**Article 5**

Paragraphs 2 and 3 of the Protocol are omitted.

**Article 6**  
ENTRY INTO FORCE

The Contracting States shall notify each other in writing through the diplomatic channels of completion of their domestic requirements for entry into force of this Amending Protocol. The Amending Protocol, which shall form an integral part of the Convention, shall enter into force on the date of the last notification, and thereupon shall have effect:

- (a) in case of India, in respect of taxes on income, and taxes on capital, for fiscal years beginning on or after the first day of April next following the date on which the Amending Protocol enters into force;
- (b) in case of Israel, in respect of taxes on income, and taxes on capital, for taxable periods beginning on or after the first day of January next following the date on which the Amending Protocol enters into force;
- (c) for the purposes of Article 27 (Exchange of Information) of the Convention, from the date of entry into force of the Amending Protocol.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Jerusalem, Israel this 14<sup>th</sup> day of October, 2015, in the Hindi, Hebrew and English languages, all texts equally authentic, the English text to be the operative one in any case of doubt.

For the Government of the  
Republic of India

For the Government of the  
State of Israel